न्यायालय सहायक कलक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2024

वादी	**बनाम**	**प्रतिवादीगण**
बाबू खां		मांगीलाल वगैरा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11
सपठित धारा 151 सी॰पी॰सी॰

उपस्थिति :– वादी की ओर से श्री बी आर विश्नोई एडवोकेट।
प्रतिवादी की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट।

दिनांक :– 8/07/25

निर्णय

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आधार का पेश किया कि वादी के दावे को पढने से वादी को भूमि खसरा नम्बर 17 / 10 रकबा 0.8495 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 17 / 11 रकबा 2.2733 हैक्टेयर के स्वामित्व की घोषणा बाबत कोई कारण पैदा नहीं होता है। वादी ने अपने दावे मे विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा की प्रार्थना की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17 / 10 रकबा 0.8495 हैक्टेयर तथा भूमि खसरा नम्बर 17 / 11 रकबा 2.2733 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी भूमि पर काबिज है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि जोधपुर जयपुर नेशनल हाइवे सडक के पास है। प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की कृषि भूमि खेत खसरा नम्बर 17 / 11 रकबा 2.2733 हैक्टेयर के पडौस उतर– मे खसरा नम्बर 17 / 23 की कृषि भूमि, दक्षिण में राष्ट्रिय राजमार्ग, पूर्व में खसरा नम्बर 17 / 10 की कृषि भूमि, पश्चिम– मे खसरा नम्बर 17 / 94 (पुराना खसरा नम्बर 17 / 13 / 1) की कृषि भूमि स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 की रेकर्डेड खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 17 / 11 रकबा 2.2733 हैक्टेयर के पश्चिम दिशा व खसरा नम्बर 17 / 94 (पुराना खसरा नम्बर 17 / 13 / 1) के पूर्वी दिशा की ओर बीच स्थित कृषि भूमि का 90×429 यानि 38610 वर्गफुट भू भाग पर अपना कब्जा व काश्त की साबित करने हेतु सर्वप्रथम वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां पिसरान उमरखां ने साथ मे मिलकर एक षडयन्त्र के तहत योजना बनाई और प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि हडप करने हेतु तथा अपने नाम की साबित करने हेतु माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष शाश्वत लीज का पट्टा प्राप्त करने हेतु का आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 19.12.2022 को एक शाश्वत लीज राशि 39,000 / – रूपये की रसीद को जमा करायी तथा वादी ने दिनांक 27.02.2023 को माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर से पट्टा संख्या 271 को प्राप्त कर उसका लीज डीड का पंजीयन कराने हेतु दिनांक 03.03.2023 को पंजीयन करवाया गया। प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

बालोतरा मे रहता है। प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल मार्च 2024 को अपने पुत्र के पास कस्बा बालोतरा में गया हुआ था, पीछे वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां ने प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को हडप करने हेतु मौके पर पत्थरों को डालना शुरू कर दिये, जिसकी जानकारी प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल को पडी तो प्रतिवादी संख्या 1 मांगीलाल बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां को ऐसी नाजायज हरकत करने का ओलबा दिया तो वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां ने प्रतिवादी सख्या 1 मांगीलाल को बताया कि भूमि खसरा नम्बर 17/11 में जिला कलेक्टर जोधपुर ने हमारे पक्ष का ढाई बीघा का शाश्वत पट्टा को जारी कर दिया है, इस कारण आपका कोई हक व अधिकार नहीं है। यह सुनकर प्रतिवादी सख्या 1 बडा आश्चर्य चकित हुआ एवं संरपच ग्राम पंचायत कापरडा को उक्त भूमि के संबंध में घटना को बताया, जिस पर सरपंच ग्राम पंचायत कापरडा ने वादी बाबूखां को बुलाया और अपने पक्ष का पट्टा बताने हेतु का कहा गया तो वादी ने बाबूखां ने दस्तावेज को नहीं बताकर अगले दिन की प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क.ख.) बिलाडा के समक्ष दीवानी वाद को पेश कर दिया, जब दीवानी वाद के तारीख पेशी 16.04.2024 के नोटिस प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुआ तब प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त दीवानी वाद में वकालतनामा पेश किया तब उस दीवानी वाद संख्या 18/2024 को वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया पट्टा संख्या 271 को देखने से प्रतिवादी संख्या 1 को जानकारी हुयी कि वादी ने फर्जी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि को हडप करने हेतु काम को अंजाम दिया गया है। जिस पर प्रतिवादी संख्या ने दिनांक 30.05.2024 को अपने अधिवक्ता से जोधपुर मे जाकर सम्पर्क किया और उसी दिन 30.05.2024 को माननीय जिला कलेक्टर जोधुपर के समक्ष पट्टा संख्या 271 प्रकरण संख्या 18/2022 निर्णय दिनांक 27.02.2023 की सम्पूर्ण पत्रावली को प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र भरकर पेश किया, जिस पर माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक ६ राजस्व/24/1326/दिनांक 26.06.2024 को इस आधार की नकल दी गयी कि जिला कलेक्टर जोधपुर के राजस्व शाखा के रेकर्ड एंव जावक पंजिका के अनुसार उक्त शाश्वत लीज का पट्टा जारी नही पाया गया है तथा न ही राजस्व शाखा द्वारा इस प्रकार की शाश्वत लीज को जारी की जाती है तत्पश्चात प्रतिवादी सख्या 1 ने दिनांक 12.06.2024 को पट्टा संख्या 271 की लीज डीड पंजीयन होने बाबत् की नकल प्राप्त करने हेतु उपपंजीयक बिलाडा के कार्यालय द्वारा इस आधार की नकल जारी करके दी गयी कि उक्त लीज का कोई दस्तावेज इस कार्यालय मे पजीबंद्ध नही होना पाया गया है। इस प्रकार वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां ने प्रतिवादी संख्या 1 की नेशनल हाइवे के समीप भूमि को सुनियोजित षडयन्त्र रचकर फर्जी शाश्वत लीज को जारी होना बताकर माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर व उपपंजीयक बिलाडा के फर्जी हस्ताक्षर करके पट्टा को गलत रूप से प्राप्त करने पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां के विरूद्ध पुलिस थानाधिकारी कापरडा के समक्ष दिनांक 16.06.2024 को अपराध अन्तर्गत धारा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

447, 420, 465, 467, 468, 471, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(F)&3(2)(V) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के अन्तर्गत एफ.आई.आर संख्या 86 को दर्ज करवायी। यहाँ यह उल्लेख करना आवयश्क एवं समीचीन है कि वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां पिसरान उमरखां जातियान मुसलमान निवासीगण कापरडा ने सुनियोजित होकर षडयन्त्र रचकर प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17/11 रकबा 2.2733 हैक्टेयर की करीब ढाई बीघा भूमि पर कब्जा करने की नियत से तथा अपने स्वामित्व की दर्शाने हेतु जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 271 दिनांक 27.02.2023 के नाम से फर्जी दस्तावेज को तैयार किया है, जबकि माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा प्रकरण संख्या 18/2022 की किसी भी प्रकार की कोई लीज संबंध की पत्रावली को गठित नही किया है। वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां ने शाश्वत लीज पट्टा संख्या 271 दिनांक 27.02.2023 पर माननीय जिला कलेक्टर जोधपुर के जाली हस्ताक्षर किये है। इसके अलावा भी पट्टा संख्या 271 को जारी करने से पूर्व दिनांक 16.11.2022 बिल राशि 3500 रूपये पर केशियर के फर्जी हस्ताक्षर किये है, जो बिल दिनांक 16.11.2022 पर प्रकरण संख्या 638 दिनांक 26.10.2022 गलत अंकित किया गया है तथा बिल दिनांक 16.11.2022 पर बिल संख्या दर्ज नहीं है। इसी प्रकार दिनांक 19.12.2022 बिल राशि 39,000/– रूपये पर केशियर के फर्जी हस्ताक्षर किये है, जो बिल दिनांक 19.12.2022 पर प्रकरण संख्या 638 दिनांक 26.10.2022 पर गलत अंकित किया गया है तथा बिल दिनांक 19.12.2022 पर बिल संख्या दर्ज नहीं है। वादी ने पट्टा संख्या 271 शाश्वत लीज को उपपजीयक बिलाडा के समक्ष दिनांक 03.03.2023 को पट्टा पंजीयन कराने हेतु दिनांक 21.03.2023 को 100/– रूपये का स्टाम्प को खरीद किया गया, जो स्टाम्प पट्टा पंजीयन दिनांक 03.03.2023 को बाद का प्रप्त कर वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां ने अपनी तीन रंगीन फोटो को लगाया है, उन तीनो रंगीन फोटो पर नगरपालिका बिलाडा के अधिशाषी अधिकारी द्वारा जारी हस्ताक्षर से सत्यापित की हुयी है तथा 100/– रूपये के स्टाम्प पर उपपंजीयक बिलाडा के हाथ से फर्जी मोहर लिखी गयी है। इसी प्रकार वादी ने दिनांक 27.03.2023 की उपपजीयंक की जारी होने वाली रसीद को फर्जी बनायी है। वादी ने दिनांक 03.03.2023 को पट्टा संख्या 271 का पजीयन कराने हेतु फर्जी क्रम संख्या 2007004875 को अंकित किया गया है तथा पट्टा पजीयन पर किसी भी व्यक्ति की फोटो नही लगी हुयी है तथा न ही जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर है। उपरोक्त पंजीयन दस्तावेज पर जाति, निवास, स्थान, व्यवसाय आदि गलत अंकित किये गये है, जो पट्टा विलेख संख्या 271 दिनांक 27.02.2023 इस आधार पर फर्जी साबित होता है कि उपपंजीयक बिलाडा ने दिनांक 12.06.2024 को उक्त पट्टा पजीयन (लीज डीड) कभी भी पजीबद्ध नहीं होने की नकल जारी की गयी है। वादी बाबूखां तथा मुरादखां, अलारख खां, भाईखां ने यह जानते हुए कि जिला कलेक्टर जोधपुर द्वारा फर्जी तरीके से जारी की गयी शाश्वत लीज डीड दिनांक 27.02.2023 फर्जी एवं कूटरचित है,

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उस फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज को आधार बताकर प्रतिवादी संया 1 की रेकर्डेड खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 17/11 को अपनी मालिकाना हक होना बताकर उस पर कब्जा कर उस पर निर्माण कार्य को करने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष बीना आधार पर झूठा दावा को पेश किया गया है, इस कारण वादी को कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। इस प्रकार फर्जी दस्तावेजात की आड़ मे वादी किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के कतई अधिकारी नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर दावा वादीगण गलत तथ्यों पर आधारित होने तथा बीना वाद कारण दर्शाये तथा सीपीसी के प्रावधानों से बाधित होने से चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारीज करेन का आदेश फरमायें।

प्रतिवादी सं. 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के प्रतिउत्तर में वादी की ओर से जवाब पेश किया जिसकें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उक्त अनवान से पत्रावली राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत घोषणा खातेदारी एवं जारी करने स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु वादीगण की और से प्रस्तुत होने के पश्चात प्रतिवादीगण को तलबी जारी होकर जबाव दावा प्रस्तुत करने हेतु पत्रावली तारीख पेशी पर नियत थी, किन्तु मामले को लम्बा करने की नियत से प्रतिवादीगण की और से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पौषणिय नही होने से काबिले खारीज है। विचाराधीन मामले में वादी अपने वाद पत्र में अभिकथनो में वाद दायर करने का माकूल कारण मय दिनांक अभिकथित किया गया है, जिसे भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है, क्योकि विचाराधीन मामला खातेदारी घोषणा से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होने से उक्त वाद पत्र जबाव दावा प्रस्तुत होने के पश्चात न्यायालय श्री द्वारा अन्तिम रूप से विवाद्यक विरचित होने के पश्चात उभय पक्षकारान द्वारा पत्रावली पर अपनी–अपनी और से साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात अन्तिम रूप से मामले का निस्तारण किया जाना विधिक प्रावधानों के तहत ही संभव है। एवं प्रतिवादीगण का उक्त प्रार्थना पत्र उक्त स्टेज पर पौषणिय नही होने से काबिले खारीज है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 3 से अंतिम भी गलत व भ्रामक तथ्यों पर आधारित होने से वादी को विधि प्रावधानों के तहत अस्वीकार है। क्योकि वाद ग्रस्त भूमि से संबंधित पत्रावली तथ्य एवं साक्ष्यो का मिश्रित मामला है, जो मात्र जबाव दावे के पश्चात तनकिहात कायम कर साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात ही संभव है, जिससे भी विचाराधीन प्रार्थना पत्र काबिले खारीज है। साथ ही साथ इस बात विनिश्चय करने हेतु साक्ष्य देना अपेक्षित है ऐसी स्थिती में आदेश 7 नियम 11–ए के प्रावधान लागू नही होते।

अतः जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय श्री से निवेदन है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. मय खर्चे के खारीज फरमावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकुलाय उभयपक्ष की बहस को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम–11 में निम्नानुसार विधिक प्रावधान

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

है:—''वादपत्र का नामंजूर किया जाना— वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा— (क) जहाँ वह वाद—हेतूक प्रकट नहीं करता है। (ख) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्याकंन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करनें के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जानें पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करनें में असफल रहता है। (ग) जहाँ दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तू वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प—पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित किए जाने पर उस समय भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहात है। (घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;''

हमनें वाद—पत्र का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में बताया कि वादी प्रतिवर्ष खरीफ की फसल की बुवाई पीढी दर पीढी करता रहा है। वादी वादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाना चाहता है। साथ ही वादी द्वारा श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के द्वारा जारी शाश्वत लीज पटटा सं. 271 के आधार पर अपना कब्जा करना चाहता है। किन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत शाश्वत लीज के पटटे को फर्जी बताया है जिसके संबंध में जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जिसमें लिखा है कि ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 17 के प्रकरण सं. 18/2022 की सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही है प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के संलग्न प्रकरण सं. 18/2022 पटटा सं. 271 शाश्वत लीज अंकन की छायाप्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी द्वारा वांछित उक्त प्रकरण सं. 18/2022 शाश्वत लीज जिला कलक्टर कार्यालय जोधपुर की राजस्व शाखा के रेकर्ड एवं जावक पंजिका अनुसार जारी होना नहीं पाया गया है एव ना ही राजस्व शाखा द्वारा इस प्रकार की शाश्वत लीज जारी की जाती है। अतः प्रकरण इस शाखा से संबंधित नहीं होने से सूचना दिया जाना अपेक्षित नहीं है। श्रीमान जिला कलक्टर कार्यालय से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार पटटा सं. 271 वैध नहीं ठहराया जा सकता। इसी प्रकार प्रतिवादी ने दिनांक 12.06.2024 को पटटा सं. 271 की लीज डीड पंजीयन होने की नकल प्राप्त करने पर पाया गया कि उक्त लीज का कोई दस्तावेज इस कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं होना पाया गया। वादी बाबु खान द्वारा वाद पुश्तैनी रूप से कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषित करवाना चाहते है किन्तु पत्रावली के साथ संलग्न तहसीलदार बिलाडा के सीमांकन आदेश क्रमांक 105—107 दिनांक 29.01.2024 के अनुसार ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 17/10 व खसरा नंबर 17/11 भूमि का सीमांकन करने हेतु राजस्व टीम का गठन किया गया। पटवारी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 06.03.2024 के अनुसार ग्राम कापरडा के खसरा नंबर 17/11 व खसरा नंबर 17/10 के सीमांकन करते समय पडौसी खातेदार अगरीदेवी पत्नी भैराराम, गणेश पुत्र भैराराम देवासी व ओमाराम पुत्र कानाराम जाति जाट ने खुद की खातेदारी भूमि होना बताया व नाराजगी जाहिर की। जबकि प्रार्थी खातेदार मांगीलाल पुत्र मोतीलाल जाति सरगरा के नाम राजस्व रेकर्ड में 17/10 रकबा 15 बीघा, 17/11 रकबा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

15 बीघा भूमि कुल 30 बीघा दर्ज है। जबकि प्रार्थी की मौका स्थिति अनुसार 27 बीघा भूमि है। शेष भूमि पर पडौसी खातेदार ने कब्जा किया हुआ है। उक्त पटवारी रिपोर्ट से कही भी यह प्रतीत नहीं होता है कि वादी बाबु खान का खसरा नंबर 17/10 व खसरा नंबर 17/11 पर किसी प्रकार का कब्जा था वादी बाबु खान द्वारा प्रस्तुत वाद बिना कब्जे के आधार पर प्रस्तुत करने के कारण कोई वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अवैध दस्तावेज व वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 8/11/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादी — बाबु खान

बनाम

प्रतिवादीगण — मांगीलाल

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए आर.टी. एक्ट
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

राजस्व वाद संख्या :– 62 / 2024

दिनांक :– 8/1/25

निर्णय

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बी आर विश्नोई अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 2 सरकारी पेरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अवैध दस्तावेज व वाद हेतुक प्रकट नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 8/1/25 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा